न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****

1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–297/2026
(C.N.R. No. UPST010008582026)

सुनीता पत्नी सुरेश, निवासी ग्राम पूरे मोहम्मद नेवाज, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–02/2026,
अन्तर्गत धारा–103(1), 61(2), 3(5) व 191(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–मुसाफिरखाना, जनपद–अमेठी।

व

2–पूरक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–480/2026
(C.N.R. No. UPST010015752026)

सुनीता पत्नी सुरेश, निवासी ग्राम पूरे मोहम्मद नेवाज, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी।

..... प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–02/2026
अन्तर्गत धारा–103(1), 61(2), 3(5) व 191(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–मुसाफिरखाना, जनपद–अमेठी।

दिनांक 05.03.2026

1. प्रस्तुत दोनो जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थिनी/अभियुक्ता के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 02/2026, धारा 103(1), 61(2), 3(5) व 191(2) भारतीय न्याय संहिता, के अन्तर्गत, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध की घटना एवं एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

3. अभियोजन का संक्षेप में कथानक यह है कि कि वादिनी सुनीता कोरी पत्नी सुरेश कुमार कोरी निवासी ग्राम पूरे मोहम्मद नेवाज, थाना कोतवाली मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी की निवासी है। दिनांक 31.12.2025 को समय लगभग सायं 6:00 बजे भूमि विवाद के कारण विपक्षी जयवर्द्धन कोरी

एवं हर्षवर्द्धन कोरी पुत्रगण गोवर्द्धन कोरी निवासीगण ग्राम पूरे मोहम्मद नेवाज के कहने पर बल्लन निवासी ग्राम पूरे मनसूर (जो ग्राम प्रधान पति मोहम्मद तौकीर का साडू है) वादिनी के घर आया और यह कहकर वादिनी की सास श्रीमती शिवपता पत्नी स्व० छोटेलाल को अपने साथ ले गया कि प्रधान पति मोहम्मद तौकीर ने जमीन के संबंध में अपने फार्म पर बुलाया है। वादिनी के मना करने के बावजूद उसकी सास जाने को तैयार हो गई, जिस कारण वादिनी भी उनके पीछे–पीछे चल दी। जब वे केशवराम की दुकान से लगभग 200 मीटर आगे पहुँचे, तब पहले से मौजूद हर्षवर्द्धन कोरी, जयवर्द्धन कोरी, जहीद उल्ला निवासी मंझेरिया मजरे जाखा शिवपुर तथा बल्लन ने वादिनी की सास पर लाठी–डंडा व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। यह घटना ग्राम प्रधान पति मोहम्मद तौकीर द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के तहत कराई गई। गंभीर रूप से घायल सास को ग्रामीणों की सहायता से सरकारी एम्बुलेंस द्वारा सी.एच.सी. मुसाफिरखाना लाया गया, जहाँ से चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय गौरीगंज रेफर किया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि प्रार्थिनी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे गांव की पार्टीबंदी, शत्रुता और भूमि विवाद के कारण मात्र हैरान–परेशान करने की नीयत से झूठे तथ्यों के आधार पर फर्जी रूप से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थिनी स्वयं इस मुकदमे की वादिनी एवं चश्मदीद साक्षी है तथा मृतका शिवपत्ता उसकी सास थी, जिनके साथ वह परिवार सहित रहती थी। मृतका द्वारा नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध भूमि संबंधी सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन था, जिसे वापस लेने हेतु अभियुक्तगण द्वारा पूर्व से ही धमकियां दी जा रही थीं तथा इसी विवाद में पूर्व में मारपीट का मुकदमा भी दर्ज है। प्रार्थिनी का मृतका की मृत्यु से कोई लाभ नहीं था, बल्कि मृतका के जीवित रहने में ही प्रार्थिनी का हित निहित था, जिससे प्रार्थिनी का कोई मोटिव नहीं बनता। अभियोजन कथानक के समर्थन में न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य है, न कोई हथियार की बरामदगी, और न ही प्रार्थिनी की सहभागिता का कोई ठोस प्रमाण है। केवल संदेह, कॉल डिटेल अथवा कथित फर्जी स्वीकारोक्ति जैसे कमजोर आधारों पर अभियुक्त बनाना विधिसम्मत नहीं है। थाना पुलिस द्वारा प्रभाव में आकर निष्पक्ष विवेचना नहीं की गई तथा नामजद अभियुक्तों को बचाने के उद्देश्य से प्रार्थिनी को गलत तरीके से फंसाया गया है, जबकि प्राथमिकी के अवलोकन से भी प्रार्थिनी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 01.01.2026 को कथित घटना की सूचना में कुल 5 व्यक्तियों जयवर्द्धन, हर्षवर्द्धन, जहीद उल्ला, बल्लन एवं मोहम्मद तौकीर को नामजद करके दर्ज करायी गयी थी। दौरान विवचेना विवचेक द्वारा नामित अभियुक्तगण का नाम कथित घटना में संलिप्ता न पाए जाने के आधार पर विलोपित करते हुए वादिनी सुनीता तथा 5 अन्य व्यक्तियों मोईन, शोएब,

सन्तोष, बृजेश एवं मो0 तौहीद को अभियुक्त बना दिया गया।

7. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान विवेचक/क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्ट करे किन साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्तगण के नाम को निकाला गया तथा उनके स्थान पर वादिनी सुनीता व अन्य व्यक्तियों मोईन, शोएब, सन्तोष, बृजेश एवं मो0 तौहीद को अभियुक्त बनाया गया। मामले के विवेचक सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये और उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दौरान विवेचना कतिपय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जिसमें पूर्व में नामजद अभियुक्तगण के फार्म हाउस तथा दुकान में लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज व उनके कॉल रिकॉडिंग तथा वादिनी व अन्य व्यक्तियों के बयान के आधार पर स्वयं वादिनी की भूमिका संदिग्ध पाते हुए पूर्व में नामजद अभियुक्तगण के नामों का विलोपन करते हुए वादिनी सुनीता व 5 अन्य व्यक्तियों की घटना कारित करने में भूमिका व संलिप्तता पाए जाने के आधार पर उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। विवेचक/अभियोजन की ओर से साक्ष्य संकलन के उपरान्त अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की गयी है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के स्तर पर सूक्ष्म एवं गहन साक्ष्यों के मूल्यांकन की गुंजाइश (scope) नहीं रहती है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया या साक्ष्य का अवलोकन करके जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना यथोचित है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्ता/प्रार्थिनी सुनीता की भूमिका, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, घटना कारित करने में बतायी गयी है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त दण्डे को बरामद किया जाना कहा गया है। विवेचक द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन तथा इस दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विभिन्न स्तर पर की जाएगी।

इस आदेश में मुकदमे के गुण–दोष पर जो भी टीका–टिप्पणी की गयी है, वह इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है, जिसका कोई प्रभाव मुकदमें के विचारण के दौरान नही पड़ेगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्ता की नामजदगी, अपराध की गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, तद्नुसार उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र सं0 480/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

Sd/-

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

दिनांक 05.03.2026

(स्टेनो सुधीर सिंह)